आराजी पर जेसीबी द्वारा राष्ट्रीय वृक्ष धो के पेडो को उखाड़ा तब मालूम हुआ। उक्त आराजी को अप्रार्थी सं0 1 द्वारा बेचान कर दिया गया है। उसके बाद आम बस्ती प्रार्थीगण द्वारा नकल जमाबंदी प्राप्त की तो नामा0 सं0 936,937,938,939,940,941,942 दिनांक 20.07.2021 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज पाया गया जो कि कतई गलत है इसलिए उक्त वयनामा व नामा0 शून्य व अकृत्य व प्रभावहीन है। इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने अपना स्वयं का शपथ पत्र एवं फोटोकॉपी जमाबंदी पेश की है।

वकील प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की दर्ज है किन्तु इसमें जनहित के हक निहित है। अतः वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या आश्वस्त हो अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक के लिए जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आराजी खसरा नं0 127 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम नरौली तहसील सपोटरा के मौके एवं रिकार्ड की स्थिति मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे। आदेश जारी हो। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 25.10.2021 को पेश हो।

26/11/21

डाडीलाल [illegible]

पत्रावली आज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन पर पेश हुई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर इस बात का निवेदन किया है कि हम पक्षकारान में आपसी सहमति से समझौता हो गया है मौके पर अब कोई विवाद नहीं है, के आधार पर दावा खारिज कर दिया है, इसलिये इस प्रार्थना पत्र को अब कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है पत्रावली दौरान [illegible] [illegible] नकल [illegible]